

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी/19451/पोर्टलमोने/2016-17/210

दिनांक:- 25/06/18

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त	ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, समस्त	पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, समस्त
--	--	---

विषय:- नवप्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि के मॉड्यूल में सूचना प्रविष्ट करने वालत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्शन पोर्टल पर नवप्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि का मॉड्यूल सत्र 2018-19 के लिए लाईव कर दिया गया है।

01. नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि मॉड्यूल में निम्न विकल्प द्वारा नव प्रवेश की प्रविष्टि की जा सकेगी-

(i) प्रवेशित कक्षा-

02. प्रवेशित कक्षा प्रथम होने पर निम्न विकल्प में से किसी एक का चुनाव किया जाना है-

(i) पूर्व में अध्ययनरत संस्था का प्रकार--

(a) अन्य किसी भी आंगनबाड़ी से (b) विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी से (c) अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश (d) अन्य राजकीय विद्यालय से (e) निजी विद्यालय से

03. कक्षा प्रथम के अतिरिक्त अन्य कक्षा में प्रवेश होने की स्थिति में निम्न विकल्प में से चुनाव कियां जाना है-

(i) पूर्व में अध्ययनरत संस्था का प्रकार--

(A). शालादर्शन (B). शालादर्शन (C). निजी विद्यालय से (D). अन्य शिक्षण संस्था से (E). अन्य राज्य से

04. प्रवेशित विद्यार्थी को खोजे--

(a). TC क्रमांक द्वारा ।

(b) विद्यार्थी के आधार नंबर द्वारा ।

(c). स्कूल कोड या विद्यालय डायस कोड व अध्ययनरत कक्षा द्वारा ।

(d). SR नंबर और विद्यालय कोड/डायस कोड द्वारा ।

उक्त विकल्प द्वारा नव प्रवेश के लिए विद्यार्थी का चुनाव करे।

समस्त peeo/ beeo 10 जुलाई तक आवश्यक रूप से समस्त नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 25/06/18

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी/19451/पोर्टलमोने/2016-17/210

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपायुक्त, (शाला दर्शन) राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर